

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जून, 2018-आषाढ़ 1, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सान्या सैय्यद पिता सैय्यद इसरार व माता श्रीमती सुरेखा सरोदे रहा था व मैं, मुस्लिम धर्म अनुयायी थी व मेरी प्रारम्भ से ही आस्था हिन्दू धर्म के प्रति रही होने से मैंने मुस्लिम धर्म का परित्याग करते हिन्दू धर्म अपना लिया है व तदनुसार मैंने अपना नाम "सान्या सरोदे" कर लिया है. अतः मुझे इसी नाम से जाना-पहिचाना जावे एवम् सभी शासकीय अर्धशासकीय विभाग, विधिक दस्तावेजों आदि में मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(सान्या सैय्यद)

(145-बी.)

नया नाम :

(सान्या सरोदे)

522, गुलाब बाग कॉलोनी,
इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुणाल होकर वर्तमान में मेरी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है मैं, तहसील सनावद, जिला खरगोन का स्थाई निवासी हूँ मैं, जब 14 वर्ष का था जब मेरी माता भावना पति मनीष लाठिया का आपसी सहमति से विवाह विच्छेद अपर जिला न्यायाधीश, बड़वाह (म.प्र.) के समक्ष न्यायालय से दिनांक 08.08.2013 को व्यवहार वाद क्रमांक 8-ए/2013 के द्वारा हुआ था. माननीय सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट था कि मेरी सम्पूर्ण देखभाल शिक्षा मेरी माता भावना पटेल करेगी. मेरी माता मेरी शिक्षा, देखभाल इत्यादि का कोई भी खर्च मेरे पिता मनीष लाठिया से नहीं लेंगी. तदनुसार मेरी माता भावना पटेल के द्वारा मेरी देखभाल, शिक्षा इत्यादि स्वयं के खर्च से की गई. मैं, यह चाहता हूँ कि मुझे कुणाल पटेल के नाम से जाना जाये. मेरे से संबंधित दस्तावेज, संव्यवहार, बैंकिंग दस्तावेज, लायसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आई.डी. इत्यादि में कुणाल पटेल का नाम भी अंकित कराने की प्रक्रिया करने के लिये स्वतंत्र हूँ मैं, भविष्य में अपनी सभी संबंधित दस्तावेज, संव्यवहार, परीक्षा फार्म इत्यादि में कुणाल भावना पटेल उपयोग करने के लिये स्वतंत्र हूँ.

पुराना नाम :

(कुणाल लाठिया)

(194-बी.)

नया नाम :

(कुणाल पटेल)

सोलंकी कॉलोनी, सनावद,
जिला खरगोन.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री उमालक्ष्मी दीक्षित उम्र 14 वर्ष, पुत्री स्व. श्री गजेन्द्र दीक्षित नाम अंकित चला आ रहा है जो कि गलत है वास्तव में उसका नाम कामिनी दीक्षित पुत्री स्व. गजेन्द्र दीक्षित सही नाम है वर्तमान में पुत्री इन्हीं नाम से जानी, पहचानी जाती है यह नाम उसके स्कूल के दस्तावेजों में प्रमाण सहित मौजूद है. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है अब भविष्य में कामिनी दीक्षित उम्र 14 वर्ष के नाम से जाना व पहचाना जावे. नाम परिवर्तन के संबंध में यह सूचना मैं, नाबालिग पुत्री की मां अल्पना दीक्षित पत्नी स्व. गजेन्द्र दीक्षित की ओर से प्रकाशित की जा रही है.

अल्पना दीक्षित,

निवासी-जिंसी वालो का बाड़ा,
हुजरात कोतवाली के सामने,
लशकर, ग्वालियर.

(195-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र कार्तिकेय दीक्षित उम्र 9 वर्ष, पुत्र स्व. श्री गजेन्द्र दीक्षित नाम अंकित चला आ रहा है जो कि गलत है वास्तव में उसका नाम कार्तिक दीक्षित पुत्र स्व. गजेन्द्र दीक्षित सही नाम है वर्तमान में पुत्र इन्हीं नाम से जाना, पहचाना जाता है यह नाम उसके स्कूल के दस्तावेजों में प्रमाण सहित मौजूद है. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है अब भविष्य में कार्तिक दीक्षित उम्र 9 वर्ष के नाम से जाना व पहचाना जावे. नाम परिवर्तन के संबंध में यह सूचना मैं, नाबालिग पुत्र की मां अल्पना दीक्षित पत्नी स्व. गजेन्द्र दीक्षित की ओर से प्रकाशित की जा रही है.

अल्पना दीक्षित,

निवासी-जिंसी वालो का बाड़ा,
हुजरात कोतवाली के सामने,
लशकर, ग्वालियर.

(195-A-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम ग्वालियर की पॉलिसी क्रमांक 376003499, 375324598, 201920698 में भूलवश मेरा नाम संकेत गुप्ता दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम संकेत मित्तल है और मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अतः मुझे मेरे वास्तविक नाम संकेत मित्तल से ही जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(संकेत गुप्ता)

(197-बी.)

नया नाम :

(संकेत मित्तल)

पुत्र-श्री रविन्द्र किशोर गुप्ता
निवासी- बी-34, अशोक विहार, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम रश्मि ग्वालानी पिता पिताम्बर ग्वालानी था, जो कि अब विवाह पश्चात श्रीमती आरोही यादवानी पति प्रदीप यादवानी हो गया है. अतः अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(रश्मि ग्वालानी)

(198-बी.)

नया नाम :

(आरोही यादवानी)

निवासी- 51-ए, शिवधाम कालोनी,
(लिम्बोदी) खण्डवा रोड, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम डी. अर्पणा था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मुझे अर्पणा देवदासन पिता बी. देवदासन, निवासी:- डी-28/1, आर.आर. कट कॉलोनी, इन्दौर के नाम से जाना, पहचाना जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जायेगा.

पुराना नाम :

(डी. अर्पणा)

(199-बी.)

नया नाम :

(अर्पणा देवदासन)

निवासी-डी-28/1, आर.आर.
कट कॉलोनी, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती बेबी गायके पति श्री पांडुरंग राव यादव पुत्री स्व. श्री काशीराव गायके निवासिनी शिव कॉलोनी गली नं. 01, गुढ़ा कम्पू, लशकर ग्वालियर मध्यप्रदेश का विवाह विगत 45 वर्ष पूर्व श्री पांडुरंग राव यादव पुत्र श्री गोविन्द राव यादव से सम्पन्न हुआ था एवं विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती शोभा यादव रखा गया था. मैं, अब भविष्य में अपने विवाह से पूर्व के नाम श्रीमती बेबी गायके पति स्व. श्री पांडुरंग राव यादव पुत्री स्व. श्री काशीराव गायके के नाम से जानी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(शोभा यादव)

नया नाम :
(बेबी गायके)

(206-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, कु.संतोष केवलानी पिता श्री प्रहलाद केवलानी, निवासी म.नं. 75, गली नं. 4, सिंधी कॉलोनी, इंदौर अपने विवाह दिनांक 26-01-2011 के उपरांत सामाजिक व्यवस्था अनुसार मेरा नाम श्रीमती अनुष्का पति श्री प्रतीक चंदानी हो गया है व वर्तमान में मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जा रही हूँ. मेरे द्वारा सम्पादित समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती अनुष्का पति प्रतीक चंदानी, निवासी- “ शीतल ” नूतन नगर खरगोन, तह. व जिला खरगोन (म.प्र.) है. अब मुझे श्रीमती अनुष्का पति प्रतीक चंदानी के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(कु. संतोष)
पिता श्री प्रहलाद केवलानी.

नया नाम :
(अनुष्का)
पति प्रतीक चंदानी
निवासी- नूतन नगर, खरगोन.

(210-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शिवमहिमा कान्सट्रक्शन एण्ड बोरवेल, 12/720, बजरंग नगर, रीवा (म.प्र.) से दिनांक 01/04/2018 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है - 1. श्री श्रीकान्त मिश्रा, 2. श्रीमती शकुन्तला मिश्रा, 3. श्रीमती अल्का मिश्रा, 4. श्री अभिमन्यु सिंह परिहार, शेष पार्टनर फर्म में यथावत् बने रहेंगे.

मे. शिवमहिमा कान्सट्रक्शन एण्ड बोरवेल,
कृष्णाकान्त मिश्रा,
(पार्टनर)

(200-बी.)

12/720, बजरंग नगर, रीवा.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सिंह इंटरप्राइजेज, सिरमौर रोड, खुटेडी, रीवा (म.प्र.) से दिनांक 08/02/2018 से श्रीमती लीलावती सिंह को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् किया जाता है एवं उक्त दिनांक से दिनांक फर्म में नये पार्टनर श्री शान्तनु सिंह को शामिल किया जाता है शेष पार्टनर फर्म में यथावत् बने रहेंगे.

मेसर्स सिंह इंटरप्राइजेज,
मनोज सिंह,
(पार्टनर)

(201-बी.)

सिरमौर रोड, खुटेही, रीवा (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स अजीत एग्रो इंडस्ट्रीज पता ग्राम-बोरगांवखुर्द पंधाना रोड, खण्डवा की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं:-

1. श्रीमान नवजोत सिंह उबेजा दिनांक 1 अप्रैल 2014 से फर्म में नए भागीदार के रूप में जोड़े गए हैं, एवं

2. श्रीमान अजीत सिंह उबेजा का संयुक्त हिन्दू परिवार, नाम अजीत सिंह उबेजा HUF एवं श्रीमान जितेन्द्र सिंह उबेजा का संयुक्त हिन्दू परिवार, नाम जितेन्द्र सिंह उबेजा HUF दिनांक 01 अप्रैल 2018 से भागीदारी फर्म से प्रथक् हुए हैं.

For Ajit Agro Industries,
AJIT SINGH,
(Partner).

(202-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स छबीलदास चुन्नीलाल एक पंजीकृत भागीदारी फर्म होकर इसका पूर्व में पता-17, रेसकोर्स रोड, इन्दौर था, जो वर्तमान में 20-21, यशवन्त कालोनी, इन्दौर हो गया है. उपरोक्त पते परिवर्तन के संबंध में यह जाहिर सूचना प्रकाशित की जा रही है.

मेसर्स छबीलदास चुन्नीलाल,
शशी रानी भाटिया,
(पार्टनर)

(203-बी.)

20-21, यशवन्त कालोनी, इन्दौर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स. राधा कृष्ण फिलिंग स्टेशन, में दिनांक 19-04-2018 तक श्री सुधीर सचान 10% व श्री अनुज अग्रवाल 90% के पार्टनर थे परन्तु दिनांक 20-04-2018 से उपरोक्त फर्म में सभी पक्षों की सहमति से संशोधन किया जा रहा है जिसमें श्री सुधीर सचान को फर्म से रिटायर कर नये पार्टनर श्री रवीन्द्र कुमार द्विवेदी को जोड़ा जा रहा है. आज दिनांक से फर्म में लाभ-हानि, पूंजी का प्रतिशत श्री अनुज अग्रवाल का 51% व श्री रवीन्द्र कुमार द्विवेदी का 49% का रहेगा.

रवीन्द्र कुमार द्विवेदी,
तनय श्री उमाशंकर द्विवेदी,
निवासी- गढ़वा, पो. जेपी नगर,
जिला रोवा.

(204-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी, 13-ए, इंद्रपुरी, रायसेन रोड भोपाल म.प्र. जिसका पंजीयन क्र. 00002/04, दिनांक 01-04-2004 है की पार्टनर श्रीमती दलविंदर कौर फर्म की भागीदारी से दिनांक 01-04-2017 को रिटायर हो गयी है. उक्त दिनांक से फर्म का संचालन किया जाएगा.

मैसर्स अमर कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
दलजीत सिंह कौर,
निवासी- 13ए, इंद्रपुरी रायसेन रोड,
भोपाल.

(205-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गौरव कंस्ट्रक्शन कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 00397/10, म.न. 23, एस. आर. हर्षवर्धन नगर, भोपाल के भागीदारी विलेख आपसी सहमती से परिवर्तन किया जा रहा है. जिसका विवरण निम्नानुसार है श्री गजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री लखन सिंह चौहान, निवासी म.नं. 110, मालवीय नगर, न्यू मार्केट, भोपाल को दिनांक 01-01-2018 से फर्म से आपसी सहमति से निर्वत किया जाता है. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में परिवर्तित भागीदारी एवं निवृत्त भागीदारी से फर्म संबंधित त कोई लेन-देन, वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो वह सूचना प्रकाशन से 7 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें अथवा उक्त समयवाधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे प्रकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है अथवा शून्य मानी जायेगी.

मुकेश चौहान,
(अधिवक्ता)

बी-ब्लॉक, मांसरोवर काम्पलेक्स,
भोपाल.

(207-बी.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बक्तरा सर्विस स्टेशन पंजीयन क्रमांक 01/02/04/0472/17 म.न. मेन रोड बक्तरा जिला सिहोर के भागीदारी विलेख में विघटन किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है श्री भरत भूषण पटेल पुत्र श्री प्रेमसिंह पटेल एवं श्री प्रवीन पटेल पुत्र श्री प्रेमसिंह पटेल दोनों निवासी ग्राम बक्तरा तह. बुदनी जिला सीहोर आपसी सहमति से दिनांक 26.10.2017 को फर्म का विघटन कर दिया अब श्री भरत भूषण पटेल पुत्र श्री प्रेम सिंह पटेल उक्त फर्म को प्रोपराईटर के रूप में संचालन करेंगे. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विघटन फर्म के भागीदार वर्तमान प्रोपराईटर फर्म से संबंधी कोई लेन-देन वाद-विवाद अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति शासकीय या अशासकीय संस्था, बैंक या अन्य किसी संस्था जिसमें हित प्रभावित होता हो वह सूचना प्रकाशन से 7 दिन के भीतर मय दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत करें अथवा उक्त समयावधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे प्रकार फर्म पर बंधनकारी नहीं है अथवा शून्य मानी जायेगी.

शिवल सिंह चौहान,

(अधिवक्ता)

194 जौन-1 एम.पी. नगर,

भोपाल.

(208-बी.)

NOTICE

It is to Published for general information that Shri Uttampal Singh S/o Rajnarayan Singh Sector-1 House No.16 Lavkush Nagar Khandwa M.P. has retired on 01/06/2018 the firm M/s Pal Associates Purni House Padawa Road Khandwa M.P. and Deepa Singh W/o Rajnarayan Singh Sector-1 House No.16 Lavkush Nagar Khandwa M.P. Shri Yogendra Singh S/O Raghuraj Singh Main Road Mundi Gram Kehlari, Distt. Khandwa of have joind as a New Partner on 01/06/2018 is the Firm M/s Pal Associates Purni House Padawa Road, Khandwa M.P. Distt Khandwa.

For -Pal Associates,

MAHIPAL SINGH,

(Partner).

(211-B.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 06/बी-113(1)/2017-18/366.

ग्वालियर, दिनांक 24 मई, 2018

प्ररूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्री प्रशान्त गंगवाल पुत्र स्व. श्री पारस कुमार जी गंगवाल निवासी-गंगवाल भवन, फालका बाजार, लश्कर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 22 जून, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः मैं, विनोद सिंह, अनुविभाग लश्कर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : “अन्तरमना धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास, ग्वालियर”.
गंगवाल मिल्स कम्पाउण्ड, फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
2. न्यास की चल सम्पत्ति : 51,000/-
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 24 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विनोद सिंह,
पंजीयक.

(643)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

रा.प्र.क्र.0005/बी-113(1)/2017-18.

मण्डलेश्वर, दिनांक 26 मई, 2018

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मानसुर उर्फ मणीराम पिता हमीर निवासी हिरापुर जामन्या, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश न्यास के संस्थापक एवं मुख्य प्रबंध न्यासी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 26 जून, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम : श्री रोकडीया हनुमान सदगुरु गौशाला ट्रस्ट हिरापुर,
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.
2. न्यास का पता : ग्राम हिरापुर (जामन्या) पोस्ट भुदरी तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.
3. चल सम्पत्ति : 5,000/- रुपये नगद है.
4. अचल सम्पत्ति : निरंक.

यह सूचना आज दिनांक 04 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

आनंदसिंह राजावत

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(644)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग राऊ, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्रीमती सौभाग्यवति रतनबाई काला दिगम्बर जैन पारमार्थिक ट्रस्ट पता-165/2, नेमी नगर, जैन कॉलोनी इन्दौर तर्क कार्यकारी न्यासी श्री नीतेश कुमार काला पिता पवन कुमार जी काला निवासी पता 165/2, नेमी नगर जैन कालोनी इन्दौर द्वारा श्रीमती सौभाग्यवति रतनबाई काला दिगम्बर जैन पारमार्थिक ट्रस्ट पता-165/2, नेमी नगर, जैन कॉलोनी इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्रीमती सौभाग्यवति रतनबाई काला दिगम्बर जैन पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता	:	कार्यालय-पता 165/2, नेमी नगर, जैन कॉलोनी इन्दौर.
चल/अचल सम्पत्ति	:	1. स्थावर सम्पत्ति 9750 वर्गफीट पर निर्मित धर्मशाला एवं खुला भाग. 2. 44, नेमी नगर एक्सटेंशन में फ्लेट नंबर 302 थर्ड फ्लोर.

आज दिनांक 26 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(645)

बिहारी सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963 नियम -5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक शंकरलाल शर्मा पिता श्रीचंद शर्मा निवासी 93 जानकी नगर एक्सटेंशन इन्दौर जिला इन्दौर के द्वारा “महर्षि दधिची सेवा ट्रस्ट”, कार्यालय पता-93 जानकी नगर एक्सटेंशन इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालय दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	:	“महर्षि दधिची सेवा ट्रस्ट”.
कार्यालय पता	:	93 जानकी. नगर एक्सटेंशन इन्दौर, जिला इन्दौर.
2. चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 5000/- (पांच हजार मात्र) है। जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।
3. अचल संपत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है।

आज दिनांक 25 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(646)

जीमल खान,

अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संयोगितागंज क्षेत्र इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक न्यासी श्री राजेन्द्रकुमार अग्रवाल पिता श्री रामनिवास अग्रवाल निवासी विश्राम कालोनी वाय.एन.रोड इन्दौर द्वारा श्री जीण धाम ट्रस्ट पता श्रद्धानन्द मार्ग छावनी, इन्दौर का पब्लिक एक्ट की धारा 4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावे अथवा आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री जीण धाम ट्रस्ट.
पता	:	श्रद्धानन्द मार्ग छावनी इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 2,100/- (अक्षरी दो हजार एक सौ मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक - 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शालिनी श्रीवास्तव
पंजीयक.

(647)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास सिहोरा, जिला जबलपुर

रा.प्र.क्र.01/बी-113/ 2017-18.

सिहोरा, दिनांक 26 मई, 2018

फार्म-चार

[नियम-5(1) एवं 5(2)]

क्र./1589/प्रवा.1/अविअ/2018.—एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री प्रमोद साहू पिता पुरुषोत्तम लाल साहू निवासी वार्ड क्रमांक 05 काल भैरव चौक सिहोरा, जिला जबलपुर व अन्य 07 के द्वारा लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत केशव पुण्य स्मृति सेवा न्यास सिहोरा तहसील सिहोरा जिला जबलपुर को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन निम्नलिखित जानकारी सहित प्रस्तुत किया है, जो कि इस न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 19 जून 2018, को विचार में लिया जावेगा।

1. न्यास का उद्गम प्रकृति और उद्देश्य :- इस पुण्य पवित्र मातृभूमि भारत की अनादिकाल के चली आ रही महान संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये शैक्षणिक प्रचारात्मक एवं विविध गतिविधियों को संचालित करना, प्रोत्साहित करना एवं संरक्षण प्रदान करना जिससे भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना में सहायता हो।

2. स्थान जहां कि न्यास का मुख्य कार्यालय अथवा कारबार स्थित है:- मौजा केशव पुण्य स्मृति सेवा न्यास भवन वार्ड क्रमांक 05 साईं मंदिर के सामने, सिहोरा, जिला जबलपुर.

3. कार्यकारी निवासी और प्रबंधक के नाम व पते निम्नानुसार हैं :-

1. श्री प्रमोद कुमार साहू पिता स्व. श्री पुरुषोत्तम लाल साहू. निवासी वार्ड नं. 05 काल भैरव चौक, सिहोरा, जिला जबलपुर.
2. श्री विनोद खत्री पिता श्री देवराज खत्री. निवासी वार्ड नं. 07 अम्बा बिहार कॉलोनी, मझौली वायपास सिहोरा.
3. श्री रामजी गुप्ता पिता लालमन गुप्ता. निवासी वार्ड नं. 12 खितौला बाजार, सिहोरा, जिला जबलपुर.
4. श्री अनुपम सराफ पिता स्व. श्री राधेश्याम सराफ. निवासी वार्ड नं. 06 झण्डा बाजार, सिहोरा.
5. श्री कढ़ोरी लाल साहू पिता स्व. श्री हुब्बीलाल साहू. निवासी वार्ड नं. 04 कटरा मोहल्ला, बाबाशाला सिहोरा.
6. श्री राकेश जी मालवीय पिता स्व. श्री बी.पी. मालवीय. निवासी वार्ड नं. 02, ज्वालामुखी के पास, सिहोरा.
7. पदेन संघचालक.
8. पदेन विभाग प्रचारक.

4. न्यासी के उत्तराधिकारी की रीति :- न्यासियों एवं सचिव के उत्ताधिकार की प्रक्रिया संविधान की कंडिका 05 से 08 के अनुसार होगी.
5. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे :- खसरा क्रमांक 521/1 रकबा 3218 वर्गफुट, नजूल शीट क्रमांक 18 डी बम्हनऊ भू खण्ड क्रमांक 102 क्षेत्रफल 299 वर्गमीटर.
6. न्यास के संबंध में कोई स्कीम हो तो उसके ब्यौरे :- नहीं.
7. चल सम्पत्ति :- 11000/- रुपये.
8. अचल सम्पत्ति :- खसरा क्रमांक 521/1 रकबा 3218 वर्गफुट, नजूल शीट क्रमांक 18 डी बम्हनऊ भू खण्ड क्रमांक 102 क्षेत्रफल 299 वर्गमीटर.
9. न्यास का आय स्रोत :- दान से.
10. औसत सकल वार्षिक आय :- कुछ नहीं.
11. औसत वार्षिक आय :-
1. न्यासियों और प्रबंधक के पारिश्रमिक पर :- कुछ नहीं.
 2. स्थापना और कर्मचारी वृन्द पर :- कुछ नहीं.
 3. धार्मिक उद्देश्यों पर :- कुछ नहीं.
 4. पूर्व उद्देश्यों पर :- कुछ नहीं.
 5. विभिन्न मदों (बिजली बिलों पर) :- 1000/- रुपये मासिक.
12. न्यास सम्पत्ति के ब्यौरे यदि कोई हो :- नहीं.
13. न्यास सम्पत्ति से संबंधित हक विलेखों के ब्यौरे और उनके अधिपत्य में होने वाले न्यासियों के नाम :-
1. श्री प्रमोद कुमार साहू पिता स्व. श्री पुरुषोत्तम लाल साहू. निवासी वार्ड नं. 05 काल भैरव चौक, सिहोरा, जिला जबलपुर.
 2. श्री विनोद खत्री पिता श्री देवराज खत्री. निवासी वार्ड नं. 07 अम्बा बिहार कॉलोनी, मझौली वायपास, सिहोरा.
 3. श्री रामजी गुप्ता पिता लालमन गुप्ता. निवासी वार्ड नं. 12 खितौला बाजार, सिहोरा, जिला जबलपुर.
 4. श्री अनुपम सराफ पिता स्व. श्री राधेश्याम सराफ. निवासी वार्ड नं. 06 झण्डा बाजार, सिहोरा.
 5. श्री कढ़ोरी लाल साहू पिता स्व. श्री हुब्बीलाल साहू. निवास वार्ड नं. 04 कटरा मोहल्ला, बाबाशाला सिहोरा.
 6. श्री राकेश जी मालवीय पिता स्व. श्री बी.पी. मालवीय. निवासी वार्ड नं. 02, ज्वालामुखी के पास, सिहोरा.
 7. पदेन संघचालक.
 8. पदेन विभाग प्रचारक.
14. वित्तीय वर्ष का समान्य बजट :- 1,00,000/-
15. संविधान तथा नियमावली :- आवेदक द्वारा केशव पुण्य स्मृति सेवा न्यास सिहोरा समिति का संविधान और नियमावली प्रस्तुत किया है जो प्रकरण में संलग्न है.
16. टिप्पणी :- न्यास के गठन किये जाने हेतु.
- उपरोक्तानुसार ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो जो वह अपने आपत्ति या सुझाव लिखित में दो प्रतियों में दिनांक 19 जून 2018, को या इसके पूर्व स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.
- आज दिनांक 26 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सीलमुद्रा से जारी किया गया.

जे.पी.यादव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिंगरौली जिला-सिंगरौली

प्र.क्र./ 0190/बी-121(1)/2016-2017.

ग्वालियर, दिनांक 06 अप्रैल, 2018

प्ररूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक उपखण्ड सिंगरौली जिला सिंगरौली के समक्ष.

अतः कि आवेदक राजाराम केशरी केशरवानी समाज ट्रस्ट बैदना ग्राम बैदना जिला सिंगरौली म.प्र. ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदक अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : "केशरवानी समाज ट्रस्ट बैदना".
ग्राम बैदना, जिला सिंगरौली.
2. सम्पत्ति का विवरण : ग्राम गनियारी की आराजी क्रमांक 836/1/क/ग रकवा 0.101.हे.

विकास कुमार सिंह

(649)

पंजीयक एवं उपखण्ड अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट राज.परि. टी.टी. नगर भोपाल

प्र.क्र. 218/बी-121(1)/2017-18

प्ररूप-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 की उपधारा (2) एवं
मध्यप्रदेश न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (नर्मदा समग्र न्यास, म.प्र. भोपाल) द्वारा श्री करणसिंह कौशिक, न्यासी सदस्य द्वारा- नर्मदा समग्र न्यास, मध्यप्रदेश भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में किये गये बदलाव ट्रस्ट के पूर्व सदस्य श्री अनिल माधव दवे द्वारा त्याग पत्र देने से उनके स्थान पर श्री सुहास भगत का नाम ट्रस्ट में जोड़े जाने एवं न्यास के सचिव पद हेतु श्री अनिल दवे (जो कि प्रबंध न्यासी भी थे) के पद रिक्त होने पर श्री राजेश दवे का नाम जोड़े जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जून 2018 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. लोक ट्रस्ट का नाम : "नर्मदा समग्र न्यास ". मध्यप्रदेश भोपाल.
2. अचल सम्पत्ति : निल.
3. चल सम्पत्ति : निल.

आज दिनांक 22 जून, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(653)

संजय कुमार श्रीवास्तव

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 03 मई, 2018

क्र./परि./2018/907—चेतना मत्स्य उद्योग संस्था मर्यादित, खनियाधाना, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 279, दिनांक 30 जून, 1994 के परिसमापक श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2017/3000, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 03 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति 03 माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करे अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

1. श्री जितेन्द्र पचौरी	अध्यक्ष	4. श्री रामनारायण	सदस्य
2. श्री मनीष पचौरी	उपाध्यक्ष	5. श्रीमती अज्जू देवी	सदस्य
3. श्री हरिओम	सदस्य	6. श्री आत्माराम	सदस्य

(628)

शिवपुरी, दिनांक 11 मई, 2018

क्र./परि./2018/929.—मुस्कान प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, शिवपुरी, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी, पंजीयन क्र. 543, दिनांक 04 जुलाई, 2008 के परिसमापक श्री राकेश चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा उपरोक्त संस्था के सदस्यों के हितों की दृष्टि से कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। जिससे सहमत होते हुये पूर्व आदेश क्र./परि./2017/2336, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को निरस्त किया जाकर संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त किया जाता है। संस्था के कारोबार चलाने हेतु 03 माह के लिये निम्नांकित सदस्यों की प्रबंध समिति नामांकित की जाती है। नामांकित प्रबंध समिति 03 माह के भीतर नियमानुसार निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करे अन्यथा की स्थिति में संस्था को पुनः परिसमापन में लाने की कार्यवाही कर दी जावेगी :-

1. श्री नारायण रावत	अध्यक्ष	5. श्री माखन सिंह	सदस्य
2. श्री दामोदर सिंह	उपाध्यक्ष	6. श्रीमती मीना रावत	सदस्य
3. श्री सुरेश कुशवाह	सदस्य	7. श्रीमती लीला बाई	सदस्य
4. श्री राकेश रावत	सदस्य		

(629)

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 मई, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/838.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/240, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूडल्या केलवा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 301, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 19 मई, 2018 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने के संकल्प पारित किया गया है। दुग्ध शीतकेन्द्र पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का अनुशंसा-पत्र प्रदान किया गया है, साथ ही प्रस्ताव के संलग्न तीन वर्षीय कार्य योजना संलग्न की गयी है। जिसमें संस्था का संचालन लाभ में होना दर्शाया गया है।

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग

करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूडल्या केलवा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 301, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के आगामी निर्वाचन होने तक तथा सुचारू कार्य संचालन हेतु सहकारिता विस्तार अधिकारी नलखेडा को संस्था का प्रशासक नियुक्त करती हूँ. संस्था प्रशासक 03 माह के भीतर संस्था के नवीन निर्वाचन कराने की कार्यवाही संपन्न करावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 25 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(650)

श्वेता रावत,
प्र. उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 17 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1015.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 915, दिनांक 15 मार्च, 2017 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकनिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 2286, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री प्रदीप नाहटा, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(651)

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दत्तोतर	1241/08-02-2012	967/23-03-2018

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 मई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

(652)

अनिता मेहरा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जून, 2018-आषाढ़ 1, शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 जनवरी, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. **जुताई.**— जिला छतरपुर, सागर, दमोह, अनूपपुर, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला में कहीं-कहीं जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी.**— जिला छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, देवास, अलीराजपुर, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर व सिवनी में बोनी कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति.** . .
5. **कटाई.**— जिला बुरहानपुर में फसल कपास की चुनाई व तुआर की कटाई जिला सिवनी में तुआर की कटाई एवं दमोह, डिण्डोरी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं पर चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई.**— जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी में चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 जनवरी, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, सरसों, चना कम. (2) गेहूँ, सरसों, चना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
9. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मटर-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, चना अधिक. सरसों, मटर कम. गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) चना, सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, धनिया, मसूर सामान्य. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) अरहर, चना कम. मटर, राई-सरसों, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) धान, तिल, अधिक. तुअर कम. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. लवकुश नगर	. .				
10. धुवारा	. .				
11. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. रबी की बोनी चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी चालू. जुताई कार्य चालू. खरीफ की कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) अरहर, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों, अलसी, जौ सामान्य.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों-कम. चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना-समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) अरहर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर, मटर समान. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) राहर, चना, जौ अधिक. अलसी, राई-सरसों समान. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .				
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .				
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) गेहूँ, मटर कम. चना, मसूर अधिक. राई, सरसों-समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			(2) गेहूँ, चना समान.		
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4.(1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..			चना, मसूर अधिक.		
3. तराना	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..			(2) गेहूँ, चना समान.		
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..			4.(1) तुअर, चना-अधिक. गेहूँ, लहसुन प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ोदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	बोनी कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4.(1) चना, मूँग, (रबी) राई, सरसों मटर, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			गेहूँ कम.		
3. देवास	..			(2) उपरोक्त फसलें ठीक हैं.		
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ चना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		मक्का, कपास, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		धान, ज्वार, मक्का, बाजरा,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		तुअर, मूँगफली कम.		
4. खरगौन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		चना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .		(2) उपरोक्त फसल अपर्याप्त.		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, तुवर कम. चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..		. गेहूँ, चना समान.		
3. खालवा	..		(2) ..		
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई. तुअर की कटाई.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4.(1) तुअर कम कपास.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..		
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) गेहूँ, चना समान.		
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तेवड़ा मटर सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बैराढ	..		(2) ..		
3. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) तुअर, गेहूँ कम. चना, मसूर अधिक. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इच्छावर	..				
4. नसरूल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		लाख, अलसी, राई-सरसों,		
4. गोहरगंज	. .		सामान्य.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		गन्ना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		गेहूँ, तुअर कम.		
4. इटारसी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		चना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		मटर अधिक.		
4. पाटन	. .		(2) गेहूँ, सुधरी शेष फसलें		
5. मझौली	. .		बिगड़ी हुई.		
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर, गेहूँ चना, मसूर	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		राई-सरसों समान.		
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..	बोनी कार्य चालू	4. (1) तुअर, मूँग कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	..		सोयाबीन, धान, उड़द अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	..		गन्ना समान.		
4. गाडरवारा	..		(2) ..		
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. काटाई,कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4.(1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		मसूर, अलसी सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	..		(2) ..		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जुन्नारदेव (जामई)	..				
5. सांसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	..				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पाहुणा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..	तुअर की कटनी चालू.	4. (1) धान, मक्का, कोदों, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	..		रामतिल, अम्बाड़ी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	..		ज्वार, समा, तुवर,		
4. कवलारी	..		सोया. अधिक.		
5. लखनादोन	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. छपारा	..				
7. घनोरा	..				
8. घंसोर	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) धान सामान्य.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लांजी	..		(2) धान सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्वा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलांजी	..				

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.